

प्रकरण वनाम मदन  
धारा - 212 RGA शुभदाम जे/वर्म - 78/16

26.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को विधिवत तीन बार आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि प्रार्थनापत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हाजिर नहीं आये।

अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को प्रार्थी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

